न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 36/2017 (223 आर. टी. एक्ट)

उनवान

1. सुनहरी पुत्री भूरी सिंह पत्नि हम्मीर सिंह जाति ठाकुर निवासी रजौरा खुर्द तह0 सपैऊ, जिला धौलपुर।
2. स्नेही पुत्री भूरी सिंह पत्नि चौब सिंह जाति ठाकुर निवासी महलपुरचूरा तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. जिला कलक्टर, भरतपुर।
2. तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, रूपवास दिनांक 29.01.2016 प्र.सं. 252/12 उनवान सुनहरी बनाम सरकार।

अभिभाषक :–

1. वकील अपीलांट श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।
2. राजकीय अभिभाषक श्री मोहन सिंह राणा उपस्थित।

निर्णय दिनांक–27.03.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.01.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/वादिनी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध रेस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल किता सात कुल रकवा 04 बीघा 04 विस्वा वाके ग्राम चैंकोरा तहसील रूपवास, अपीलाण्ट/वादिनी की अपने पूर्वजों के समय से काश्तकार एवं काबिज आराजी रही है। उक्त विवादित आराजी अपीलाण्ट/वादिनी को अपने पूर्वजो से प्राप्त हुई है तथा आदिनांक तक अपीलाण्ट/वादिनी का कब्जा काश्त है। दिनांक 03.01.2011 को अपीलाण्ट/वादिनी पटवारी हल्का के पास नकल लेने गई तो पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि उक्त विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में उनके नाम

बतौर गैरखातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज है, जबकि अपीलाण्ट/वादिनी विवादित आराजी को राजस्व रिकार्ड में खातेदारी में दर्ज करवाने की अधिकारी है। इन गलत इन्द्राजों को सही कराने के लिये हल्का पटवारी तथा तहसीलदार साहब से सम्पर्क किया गया तो वह साफ इंकारी हो गये। अतः वाद प्रस्तुत कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादिनी ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश कानून के खिलाफ एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। विवादित आराजी अपीलाण्ट को अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है एवं अपीलाण्ट के पूर्वज संवत 2012 में विवादित आराजी में बतौर गैर मौरोसी दर्ज हैं। अर्थात अपीलाण्ट के पूर्वज बन्दोबस्त के समय से ही विवादित आराजी पर काबिज व काश्त करते चले आ रहे हैं। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में मात्र इतना अंकित किया है कि अपीलाण्ट ने भू आवण्टन सम्बन्धी दस्तावेज पेश नहीं किया है एवं इसी को आधार मानकर नोन स्पीकिंग तथा विधि के प्रतिकूल निर्णय पास किया है। जबकि अपीलाण्ट आवण्टन के आधार पर दावा लेकर नहीं आई है। अपीलाण्ट अपने पूर्वजो के राजस्व रिकार्ड के आधार पर गैर खातेदारी के स्थान पर खातेदारी दर्ज कराने बाबत् दावा लेकर आई है। इसके अतिरिक्त रैस्पो0/प्रतिवादीगण संख्या 02 तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) ने अपने जवाब में कहा है कि उक्त विवादित आराजी में खेती हो रही है एवं अपीलाण्ट ही काबिज हैं। मौके पर कोई किसी प्रकार का नदी, नाला, पानी भराव का क्षेत्र नहीं हैं तथा हल्का पटवारी ने भी अपने बयानों में अपीलाण्ट का कब्जा काश्त माना है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01 को गलत रूप से अपीलाण्ट के खिलाफ माना है। अपीलाण्ट ने अपने वाद पत्र को बखूबी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित किया है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आर0आर0डी0 1987 पेज 202, 2001 पेज 411 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश विधी अनुरूप सही है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में संविदा सिद्ध नहीं की है। अतः अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु दो तनकी बनाई हैं एवं दोनों तनकियों को साबित करने का दायित्व वादी के जिम्मे रखा है। प्रतिवादी के जिम्मे कोई भी तनकी नहीं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रखी गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी ने अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया है, जिसमें स्वीकार किया है कि वादी को, विवादित आराजी गैर खातेदारी में अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई थी, लेकिन उक्त भूमि उससे पूर्वजों को आवंटन नहीं हुई थी। प्रतिवादी के इस कथन पर अपीलाधीन निर्णय में भी आधारित है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह कहकर कि वादनी के पास विवादित आराजी किस प्रकार से प्राप्त हुई, भूमि आवंटन सम्बन्धी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, वाद खारिज किया है। प्रतिवादी के कथन पर बिना कोई तनकी बनाये निर्णय आधारित करना हम उचित नहीं पाते हैं। वाद में प्रतिवादी के जिम्में यह तनकी बनाई जाना हम आवश्यक समझते हैं कि '' आया वाद की सफलता हेतु वादी के पक्ष में आवंटन होना आवश्यक हैं एवं आवंटन आदेश का अभाव वाद के लिए घातक है''

6. अधीनस्थ न्यायालय की तनकी विवेचना की समीक्षा करने पर हम पाते हैं कि दो स्पष्ट पृथक–पृथक तनकियॉ बनाने के बाबजूद, अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों तनकियों की पृथक–पृथक विवेचना ना कर अत्यन्त सूक्ष्म रूप से दोनों तनकियों की संयुक्त अस्पष्ट विवेचना की है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना है कि नकल जमाबन्दी संवत 2012 में वादनी के पूर्वज विवादित आराजी पर गैर मौरूसी दर्ज थे। अतः वादनी गैर खातेदारी से खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारी है। इस निष्कर्ष के रहते तनकी संख्या 01 वादी के खिलाफ तय करना तार्किक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को जमाबन्दी संवत 2012 के अंकन की विधिक विवेचना करनी चाहिए थी, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है।

7. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम अधीनस्थ न्यायालय निर्णय को स्थिर रहने योग्य नहीं पाते हैं एवं अपील स्वीकार योग्य समझते हैं

8. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.01.2016 निरस्त किये जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि वह इस न्यायालय द्वारा निर्देशित तनकी पर उभयपक्ष को साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुए एवं तनकी संख्या 01 की समुचित विधिक विवेचना करते हुए पुनः विधि अनुकूल निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.04.2018 को सुनवाई हेतु उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 27.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official